

'ykhk

‘ह ॥०५

57021501 EO - 41121, 112h

-: hkhj

‘କାହାଣୀ’

Software से निर्मित किये गये आवंटन का विवरण निम्नवत है:-

∴ የገንዘብ ዘዴ

क्र०	जिला का नाम	मूलक की संख्या	आवंटित राशि (₹)	(अभ्युक्ति) मूलक का नाम एवं पता
1	पूर्वी चम्पारण	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के कार्यालय-241, दिनांक-13.03.2025 के आलोक में। (1) मूलक- रव0 नूर आलम, आशित- नूर सबब खान (पत्नी), ग्राम-खैरा टोला, प0+प0-लौखहन, ग्राम-खैरा टोला, प0+प0-लौखहन, जिला-पूर्वी चम्पारण।
		01	1,00,000/-	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के कार्यालय-246, दिनांक-13.03.2025 के आलोक में। (2) मूलक-रव0 दिनेश कुमार, आशित-सरस्वती देवी (पत्नी), ग्राम-भुआलीडीह, प0-सलेमपुर, ग्राम-रावपुर, ग्राम-मोहरी, जिला-पूर्वी चम्पारण।
		01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के कार्यालय-22, दिनांक-08.01.2025 के आलोक में। (3) मूलक-रव0 राजकुमार सिंह, आशित-विन्दू देवी (पत्नी), ग्राम-नौनौरा, प0-नौनौरा, ग्राम-नौनौरा, प0+प0-घोड़ासहन, जिला-पूर्वी चम्पारण।

		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के ज्ञापांक-243, दिनांक-13.03.2025 के आलोक में। (4) मृतक-स्व0 मुकेश सहनी, आश्रित-जसोदा देवी (पत्नी), ग्राम-चकलहुरण, पो0-मेहसी, था0+प्र0-मेहसी, जिला-पूर्वी चम्पारण।
		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के ज्ञापांक-253, दिनांक-13.03.2025 के आलोक में। (5) मृतक-स्व0 संतोष साह, आश्रित-अनिता देवी (पत्नी), ग्राम-बनकट निजामत, पो0-बनकट, था0+प्र0-केसरिया, जिला-पूर्वी चम्पारण।
		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के ज्ञापांक-19, दिनांक-08.01.2025 के आलोक में। (6) मृतक-स्व0 उमेश चौधरी, आश्रित-प्रमिला देवी (पत्नी), ग्राम-लमौनिया, पो0-सुगौली, था0+प्र0-सुगौली, जिला-पूर्वी चम्पारण।
		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के ज्ञापांक-249, दिनांक-13.03.2025 के आलोक में। (7) मृतक-स्व0 मुस्ताक आलम, आश्रित-शकूर मिया (पिता), ग्राम-खैरवा टोला, पो0-लौखहन, था0+प्र0-घोड़ासहन, जिला-पूर्वी चम्पारण।
		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के ज्ञापांक-21, दिनांक-08.01.2025 के आलोक में। (8) मृतक-स्व0 अरविन्द पाल, आश्रित-प्रियांशु देवी (पत्नी), ग्राम-सरेया दुबे, पो0-सरेया बाजार, था0+प्र0-पहाड़पुर, जिला-पूर्वी चम्पारण।
		01	1,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के ज्ञापांक-20, दिनांक-08.01.2025 के आलोक में। (9) मृतक-स्व0 धर्मेन्द्र तिवारी, आश्रित-शोभा देवी (पत्नी), ग्राम-सिसवा कान्ही टोला, पो0-सिसवा बाजार, था0+प्र0-पहाड़पुर, जिला-पूर्वी चम्पारण।
		01	1,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के ज्ञापांक-07, दिनांक-04.01.2025 के आलोक में। (10) मृतक-स्व0 साहिल कुमार, आश्रित-लाल मोहन प्रसाद उर्फ लाल मोहन साह (पिता), ग्राम-रघुनाथपुर, पो0-मीरपुर, था0+प्र0-चिरैया, जिला-पूर्वी चम्पारण।
		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के ज्ञापांक-23, दिनांक-08.01.2025 के आलोक में। (11) मृतक-स्व0 तबरेज आलम, आश्रित-साबिना खातून (पत्नी), ग्राम-शंकर सरैया बनकट, पो0-शंकर सरैया बनकट, था0+प्र0-तुरकौलिया, जिला-पूर्वी चम्पारण।
		01	1,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के ज्ञापांक-251, दिनांक-13.03.2025 के आलोक में। (12) मृतक-स्व0 गणेश दास, आश्रित-श्रीमती देवी (पत्नी), ग्राम-जौतापुर, पो0-जैतापुर, था0+प्र0-रामगढ़वा, जिला-पूर्वी चम्पारण।
		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के ज्ञापांक-255, दिनांक-13.03.2025 के आलोक में। (13) मृतक-स्व0 विनोद साह, आश्रित-राजकुमारी देवी (पत्नी), ग्राम-खड़तरी, पो0-खड़तरी, था0+प्र0-चिरैया, जिला-पूर्वी चम्पारण।

(क)

	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के ज्ञापांक-248, दिनांक-13.03.2025 के आलोक में। (14) मृतक-स्व० मो० साहिल, आश्रित-मो० सफीउल्लाह (पिता), ग्राम-सेनवरिया, पो०-मिश्रौलिया, था०+प्र०-चिरैया, जिला-पूर्वी चम्पारण।
	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के ज्ञापांक-252, दिनांक-13.03.2025 के आलोक में। (15) मृतक-स्व० मुनील प्रसाद, आश्रित-सरस्वती कुमारी (पत्नी), ग्राम-गम्हरिया कला, पो०- गम्हरिया कला, था०+प्र०-आदापुर, जिला-पूर्वी चम्पारण।
	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के ज्ञापांक-244, दिनांक-13.03.2025 के आलोक में। (16) मृतक-स्व० मो० फैजुल हक खान, आश्रित-रोजी खातुन (पत्नी), ग्राम-नन्हकार बेलहिया, पो०-रघुनाथपुर, था०+प्र०-रामगढ़वा, जिला-पूर्वी चम्पारण।
	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के ज्ञापांक-254, दिनांक-13.03.2025 के आलोक में। (17) मृतक-स्व० बिरेंद्र साह, आश्रित-सीमा देवी (पत्नी), ग्राम-मेसोढ़ा, पो०-कुण्डवा चैनपुर, था०+प्र०-ढाका, जिला-पूर्वी चम्पारण।

4. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2254, दिनांक-02.05.2025 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में “बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत” अनुदान की राशि 2,00,000/- (दो लाख) मात्र, एवं 1,00,000/- (एक लाख) मात्र, प्रति मृतक प्रवासी श्रमिक की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।
5. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
6. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि० दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि० दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
7. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
8. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अविलम्ब सक्षम प्राधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।
09. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.07.16 के आलोक में लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
10. आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं मृतक के आश्रित/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो।
11. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।
12. श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

 07/05/25
 मनीष कुमार,
 सहायक श्रमायुक्त।

ज्ञापांक: 6/एफ1-09/2025 श्र0सं0-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त-2, प्रभारी प्रशाखा-01, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

सभी संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन


07/05/25

मनीष कुमार,
सहायक श्रमायुक्त,
बिहार, पटना।